झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

संख्या-01

चतुर्दश(शीतकालीन)सत्र

सोमवार, दिनांक-24 दिसम्बर, 2018 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.08 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रारंभिक वक्तव्य:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र में आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए आगामी तिथियों को लिये जानेवाले विषयों से सदन को अवगत कराया। इसके उपरांत हाल ही में हुए छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना राज्यों में हुए चुनाव में जनता के फैसलों का भी जिक्र किया तदुपरांत कोलेबिरा विधान सभा से उपचुनाव में श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी की हुई जीत पर उन्हें बधाई आसन द्वारा दी गयी। इसके साथ ही 22 नवम्बर, 2018 को इस वर्ष की उत्कृष्ट विधायक, श्रीमती मेनका सरदार, श्री श्याम बेसरा को संथाली भाषा में लिखे गये उपन्यास ''माडोम'' के लिये इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयनित किये जाने पर बधाई देते हुए न्यायिक सेवा से आये सभा सचिव, श्री महेन्द्र प्रसाद का भी हार्दिक स्वागत किया गया।

आसन द्वारा पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि आहूत सत्र का वे सदुपयोग करते हुए अपने विचारों को सदन में रखेंगे क्योंकि जनता ने हमें यहाँ विश्वास के साथ ट्रस्टी बनाकर भेजा है। उनका विश्वास न टूटे इसके लिए सदन सुचारू रूप से चले। आसन ने पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को भी अपने कर्त्तव्यों का बोध कराया। आहूत सत्र ईसा मसीह के जन्म दिवस के एक दिन पूर्व आरम्भ होने और एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन होने से भी अवगत कराते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा को निवेदित किया। अंततः पुनः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन आसन द्वारा किया गया।

2.सभापति का मनोनयन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-10 (1) के अधीन निम्नांकित माननीय सदस्यों को चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा में चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र के लिए सभापति के रूप में मनोनीत करने की घोषणा आसन द्वारा की गयी-

श्री स्टीफेन मराण्डी,	स० वि० स०
श्री अशोक कुमार,	स० वि० स०
श्री फूलचन्द मण्डल,	स० वि० स०
श्री आलमगीर आलम,	स० वि० स०
श्रीमती गीता कोड़ा,	स० वि० स०।

3.समिति का गठन:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-224 (1) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किये जाने की घोषणा आसन द्वारा की गयी-

श्री दिनेश उरांव	अध्यक्ष	सभापति,
श्री रघुवर दास	मुख्यमंत्री	सदस्य,
श्री हेमन्त सोरेन	नेता, प्रतिपक्ष	सदस्य,
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य,
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी	मंत्री	सदस्य,
श्री आलमगीर आलम	स० वि० स०	सदस्य,
श्री प्रदीप यादव	स० वि० स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	मंत्री,
श्री सरयू राय,	मंत्री,
श्री राधाकृष्ण किशोर	मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल,
श्री नलिन सोरेन	मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष,
श्री स्टीफेन मराण्डी	स० वि० स०,
श्री सुखदेव भगत	स० वि० स०,
श्री रबीन्द्रनाथ महतो	स० वि० स०,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	स० वि० स०,
श्री बिरंची नारायण	स० वि० स०,
श्री अरूप चटर्जी	स० वि० स०,
श्रीमती गीता कोड़ा	स० वि० स०,
श्री राज कुमार यादव	स० वि० स०,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	स० वि० स०,
श्री अनंत कुमार ओझा	स० वि० स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। सभा की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद उक्त समिति की बैठक आज दिनांक-24.12.2018 को अध्यक्षीय कार्यालय में आहूत होने की सूचना आसन द्वारा समिति के माननीय सदस्यों को देते हुए उनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया।

(इस बीच राज्य में अपनी माँगों को लेकर संघर्षरत पारा शिक्षकों के सम्बन्ध में दिये गये अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आकृष्ट किया।)

4.औपचारिक कार्य:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड-2(क) के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा प्रख्यापित निम्नांकित अध्यादेश की एक प्रति माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा पटल पर रखी गयी-

1. झारखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश, 2018,
   (झारखण्ड अध्यादेश संख्या-08/2018)

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2018
(झारखण्ड अध्यादेश संख्या-09/2018)

आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई जिसपर माननीय राज्यपाल महोदया ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (मॉनसून) सत्र की समाप्ति के उपरांत प्राप्त हुई है:-

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2018	25.07.2018	08/2018
2.	झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017	20.06.2018	09/2018
3.	रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय विधेयक, 2018	17.09.2018	10/2018
4.	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक, 2018	17.09.2018	11/2018
5.	झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018	28.09.2018	12/2018
6.	कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018	06.10.2018	13/2018
7.	राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018	06.10.2018	14/2018
8.	झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017	02.10.2018	15/2018
9.	झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018	12.10.2018	16/2018
10.	साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	06.10.2018	17/2018
11.	ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	10.10.2018	18/2018
12.	अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक, 2018	10.10.2018	19/2018
13.	बिहार राज्यभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018	05.10.2018	20/2018
14.	झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2018	06.11.2018	21/2018
15.	रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (आर.के.	19.11.2018	22/2018

	डी.एफ.) विश्वविद्यालय विधेयक, 2018		
16.	झारखण्ड जल गैस और ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018	19.11.2018	23/2018

5. शून्यकाल के समेकित उत्तरों का उपस्थापनः-

आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-304(6) के अधीन सभा सचिव द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त शून्यकाल के उत्तरों का संकलन सभा पटल पर रखा गया।

6. वित्तीय कार्यः-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष-2018-19 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी को सभा पटल पर उपस्थापित किया गया जिसपर कटौती का प्रस्ताव आज दिनांक- **24.12.2018 को 4.00 बजे अप०** तक दिये जाने हेतु आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया।

7. प्रतिवेदन का उपस्थापनः-

आसन से पुकारे जाने पर झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-244(2) के अधीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री राज कुमार यादव द्वारा राज्य में अपनी माँगों को लेकर संघर्षरत हड़ताल पर अडिग पारा शिक्षकों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।)

(शोरगुल)

8. शोक प्रकाशः-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई महत्त्वपूर्ण राजनेता, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवेसी रूखसत हो गये। इनके साथ देश की सेवा में तत्पर सैन्यकर्मी एवं पुलिस कर्मियों के भी शहीद होने की दुःखद सूचना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एम० करूणानिधि, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री, अनन्त कुमार सहित मदन लाल खुराना, नारायण दत्त तिवारी, गोपाल दास नीरज एवं कुलदीप नैय्यर इनमें शामिल है। इसके अतिरिक्त जनसंघ के संस्थापक एवं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन, पूर्व लोकसभा सदस्या, कमला कुमारी, पूर्व कृषि मंत्री, देवदयाल कुशवाहा, दुमका के पूर्व सांसद, बटेश्वर हेम्ब्रम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, रजिंदर कुमार धवन, बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे श्यामाचरण तुबिद, पूर्व विधायक शमशुद्दीन खान, बिहार के पूर्व विधायक, जोगेश्वर हाजरा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सदस्य, रामरूप राय, पूर्व मंत्री, फैयाज भागलपुरी, पूर्व केन्द्रीय रेल मंत्री, सी.के. जाफर शरीफ, आठ बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके बेगुसराय से भाजपा सांसद भोला सिंह, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त एवं राज्यसभा सदस्य रहे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैय्यर, साहित्य एवं अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित विख्यात कवि गोपाल दास नीरज, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ लेखक वी.एस. नायपॉल, भारतीय क्रिकेट टीम के

पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर, पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का जवान झारखण्ड के गोमिया निवासी शहीद हुए ब्रज कुमार, प्रसिद्ध दिगम्बर जैन मुनि तरूण सागर जी महाराज, दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के उप निरीक्षक,एक सहायक अंगरक्षक एवं दूरदर्शन के कैमरा मैन के हुए निधन, ब्रिगेडियर चांदपुरी, पंजाब के अमृतसर में हुए रेल हादसे में मृतजनों, शोपियां में आतंकी हमले में मारे गये तीन पुलिस कर्मियों एवं कश्मीर में शहीद हुए साहेबगंज जिला निवासी जुम्मन अली के प्रति आसन द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए संवेदना व्यक्त की गयी तत्पश्चात् सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय मंत्री श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी माननीय सदस्य सर्वश्री आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, अरूप चटर्जी, राज कुमार यादव एवं श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता द्वारा भी मृत व्यक्तियों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की गयी। माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित माननीय सदस्य, सर्वश्री आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, अरूप चटर्जी, राज कुमार यादव एवं श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने राज्य में अपनी विभिन्न माँगों को लेकर हड़ताल पर अडिग कई पारा शिक्षकों की हुई मृत्यु के प्रति भी गहरा दु:ख प्रकट किया गया। इसके उपरांत दो मिनट का सदन में मौन रखा गया तदुपरांत सदन की कार्यवाही बुधवार **दिनांक-26.12.2018 को 11.00 बजे** पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 24 दिसम्बर, 2018 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।